राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र श्री शंकर लाल पिता हरदेव ढ़ोली निवासी नानोदिया ग्राम पंचायत चमनपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

दायर	प्रकरण संख्या	निर्णय दिनांक
23/02/2016	01/2016	04/04/2016

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है श्री शंकर लाल पिता हरदेव ढ़ोली निवासी नानोदिया ग्राम पंचायत चमनपुरा तहसील बनेड़ा द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.2015 को तहसीलदार बनेड़ा को प्रस्तुत किया।

श्रीमती केशरबाई पत्नि रामचन्द्र जी ढ़ोली निवासी नानोदिया ग्राम पंचायत चमनपुरा तहसील बनेड़ा की मृत्यु प्रार्थना पत्र में संलग्न मृत्यु प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 16.09.2006 को हुई वसीयत पत्र दिनांक 14.09.2006 को श्रीशंकर लाल पिता हरदेव ढ़ोली उम्र 48 निवासी नानोदिया तहसील बनेड़ा के पक्ष में लिखी गई होकर वसीयत नोटेरी प्रमाणित होकर वसीयत अनरजिस्टर्ड है।

मृतका श्रीमती केशरबाई पत्नि रामचन्द्र जी ढ़ोली निवासी नानोदिया ने ग्राम सरदारपुरा पटवार हल्का अरनियाघोड़ा तहसील शाहपुरा एवं ग्राम राक्षी पटवार हल्का राक्षी तहसील बनेड़ा में स्थित चल अचल सम्पति की वसीयत की प्रार्थी द्वारा ग्राम राक्षी पटवार हल्का राक्षी तहसील बनेड़ा में स्थित आराजी नम्बर 965, 966 रकबा क्रमश 1.10, 1.07 कुल किता 2 रकबा 2.17 भूमि पर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र के साथ वसीयत नामे की प्रति व ग्राम राक्षी की जमाबन्दी की नकल सम्वत् 2066 से 69, मृत्यु प्रमाण पत्र श्रीमती केशरबाई पत्नि रामचन्द्र जी ढ़ोली निवासी नानोदिया का पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र की जांच पटवार हल्का चमनपुरा से कराई गई पटवार हल्का चमनपुरा ने अपनी रिपोर्ट में मृतका को तहसील शाहपुरा का होना बताया तत्पश्चात प्रार्थना पत्र की जांच के लिये तहसीलदार शाहपुरा को लिखा गया रिपोर्ट प्राप्त हुई जिससे मृतका को नाओलाद फौत होना बताया।

वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज करवाने हेतु स्थानीय समाचार पत्र लोकजीवन में दिनांक 17.03.2016 को सूचना पत्र में नोटिस निकलवाया गया एवंम उजर एतराज हेतु सात दिन का समय दिया गया किसी व्यक्तियों ने कोई आपति दर्ज नही करवाई समाचार पत्र की उक्त प्रति शामिल पत्रावली है।

वसीयत नामे में दर्ज 3 तीन गवाह एवंम वसीयत नामे को नोटेरी रजिस्टर्ड करने वाले वकील सा. के बयान लिये गये तो गवाहो ने बताया की मृतका की बिमारी की हालत में सेवाचाकरी पिछले कई वर्षो से प्रार्थी शंकर पिता हरदेव ढ़ोली ही कर रहा है

तहसीलदार (भू. अ.)
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

एवम मृत्यु के पश्चात् भी सारा सामाजिक एवंम हिन्दू रीति रिवाजो का कार्यक्रम भी शंकर पिता हरदेव ढोली द्वारा ही किया गया नोटेरी पब्लिक वकील सा. ईकबाल मो० छीपा ने अपने बयानो में बताया की मृतका केशरबाई द्वारा सम्पादित वसीयत पत्र मेरे सामने ही निष्पादित किया गया था एवंम वसीयत पत्र पर गवाहों ने हस्ताक्षर भी मेरे सामने राजी खुशी से किये थे एवंम उक्त वसीयत पत्र सही होकर मेरे द्वारा प्रमाणित है चारों बयान दर्ज कर शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली का गहन अवलोकन किया व मनन किया मुताबिक अनरजिस्टर्ड वसीयत नामे के गवाहान के बयान व पटवारी हल्का की रिपोर्ट से प्रमाणित होता है कि श्रीमती केशरबाई पत्नि रामचन्द्र जी ढ़ोली निवासी नानोदिया ने अपने जीवित रहते हुए एक अनरजिस्टर्ड वसीयत की जिसके आधार पर श्रीमती केशरबाई पत्नि रामचन्द्र जी ढ़ोली के नाम दर्ज ग्राम राक्षी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 965, 966 रकबा क्रमंश 1.10, 1.07 कुल किता 2 रकबा 2.17 बीघा भूमि श्री शंकर लाल पिता हरदेव ढ़ोली निवासी नानोदिया ग्राम पंचायत चमनपुरा तहसील बनेड़ा के नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपति नहीं है।

–:आदेश:–

अतः मुताबिक अनरजिस्टर्ड वसीयत पत्र के ग्राम राक्षी पटवार हल्का राक्षी तहसील बनेड़ा के आराजी नम्बर 965, 966 रकबा क्रमंश 1.10, 1.07 कुल किता 2 रकबा 2.17 बीघा भूमि श्री शंकर लाल पिता हरदेव ढ़ोली निवासी नानोदिया ग्राम पंचायत चमनपुरा तहसील बनेड़ा के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार हो व अमल दरामद हेतु पटवारी हल्का राक्षी को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 04/04/2016 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

तहसीलदार (भू. अ.)
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
(शंकर लाल कांकरोलिया)

Scanned by CamScanner